राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(6) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 16/8/24

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(1) एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक–आर/3621/2006) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से आपराधिक प्रकरणों के संचालन/पैरवी करने हेतु **राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं लोक अभियोजक–I, जयपुर** के पद पर अग्रिम आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

इनकी सेवा शर्ते निम्न प्रकार होगी:–

1. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर होगा।
2. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता को मासिक रिटेनरशिप, एपीरियेन्स फीस, ड्राफ्टिंग व सैटलिंग चार्जेज विभागीय आदेश क्रमांक प012(03)राज/वाद/18 पार्ट, जयपुर, दिनांक 10.02.2024 एवं भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार देय होंगे।
3. उनका मुख्यालय जयपुर से बाहर रहने पर उन्हें टी.ए. व डी.ए. शासन सचिव,विधि के समान देय होगा।
4. वह राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता के निर्देशानुसार एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।
5. वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
6. वह किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. वह राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए, जिसमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगे।
8. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से
16.8.24

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. प्रशासक वादकरण, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
11. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।

Scanned with AltaScanner

12. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
13. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अधिवक्तागण।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव राजस्थान राज–पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

Scanned with AltaScanner